अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08.07.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकता और वहनीयता के आधार पर उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त योजना तैयार करने और अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। दिनांक 08.07.2009 का कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के पश्चात इस विभाग को बड़ी संख्या में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें योजना को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 08.07.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में यथा सूचित योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा की है।

2. उपर्युक्त के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः–

(i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक साझा कॉर्पस सृजित करने पर विचार किया जाए। इस कॉर्पस का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा देखरेख और किसी अन्य आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधीन प्रत्येक सीपीएसई उपर्युक्त कॉर्पस के लिए अपने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के 15% तक का योगदान देगा।

(iii) उपर्युक्त कॉर्पस के कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यथा निर्धारित किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए।

(iv) दिनांक 08.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यथा सूचित किसी सीपीएसई विशेष पर आधारित योजना लागू रखी जाए, परंतु पीबीटी के 15% से अधिक (चाहे मंत्रालय/विभाग) और सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता नहीं जैसी आधारभूत शर्तें मंत्रालय/विभाग आधारित अब प्रस्तावित योजना के लिए लागू होंगी। अतः ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां किसी मंत्रालय/विभाग के अधीन किसी सीपीएसई में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 08.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 (iii) में पहले से उल्लिखित योजना से इतर एक अलग योजना हो सकती है।

(v) योजना (किसी मंत्रालय/विभाग के अधीन सीपीएसई के लिए अलग अथवा साझा कॉर्पस) का उद्देश्य उपर्युक्त 2 (i) के अनुरूप होना चाहिए। योजना का कार्यान्वयन प्राथमिक रूप से अनुमोदित बीमा कंपनियों के जरिए किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना परिभाषित लाभ पेंशनभोगी योजना के रूप में नहीं होना चाहिए।

(vi) किसी वर्ष विशेष में सीपीएसई द्वारा अंशदान के आधार पर वर्ष दर वर्ष योजना के अंतर्गत लाभ अलग–अलग हो सकता है, क्योंकि अंशदान संबंधित सीपीएसई के लाभ, वहनीयता और स्थायित्व पर आधारित है।

(vii) 'आपातकालीन आवश्यकताओं' के मुद्दे का निर्धारण उपर्युक्त समिति के पूर्व अनुमोदन से निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रकार्यात्मक जरूरत, वहनीयता, क्षेत्रीय समानताओं और साझा कॉर्पस की स्थिरता के सिद्धांतों के आधार पर किया जाए।

(viii) ऐसे कॉर्पस में सीपीएसई के केवल उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई की सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध है।

4. यह मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (18)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XV**/2011, दिनांक 20 जुलाई, 2011)

*****